ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार सरकार

आदेश

आ०सं० :–3/अ०प्र०–1–58/14 414 /पटना, दिनांक :– 23.1.2020

स्व0 सतीश कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ, नालंदा के विरूद्ध पदस्थापन काल में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने से संबंधित मामले में निगरानी थाना कांड सं०–026/2010 दिनांक 15.04.2010 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा–7/13(2)–सह–पठित धारा 1(ई) दर्ज किये जाने के कारण पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–344–सह–पठित ज्ञापांक 4908 दिनांक 30.11.2010 द्वारा श्री सतीश कुमार सिंह के विरूद्ध अभियांजन की स्वीकृति प्रदान की गयी। कालान्तर में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 1450(एस०) दिनांक 20.02.2014 द्वारा अभियंताओं के संवर्ग विभाजन के पश्चात श्री सिंह का संवर्ग ग्रामीण कार्य विभाग हो जाने के कारण संबंधित संचिका ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध करायी गयी।

2. संचिका के समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं०–026/2010 दिनांक 15.04.2010 दर्ज किये जाने के कारण विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–36–सह–पठित ज्ञापांक 2051 दिनांक 03.07.2014 द्वारा श्री सिंह को निलंबित किया गया एवं आरोप पत्र प्रपत्र–'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–53–सह–पठित ज्ञापांक 3110 अनु० दिनांक 04.09.2014 द्वारा श्री धर्मदेव चौधरी, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 031 दिनांक 16.03.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–1 को अप्रमाणित परन्तु यह मामला न्यायालय में विचाराधीन रहने के कारण न्यायालय के अंतिम पारित आदेश इसके फलाफल पर अक्षर–सह–प्रभावी होने को मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरान्त अस्वीकार करते हुए श्री सिंह के विरूद्ध पुनः कार्यालय आदेश संख्या 32–सह–पठित ज्ञापांक 2077 अनु0 दिनांक 15.06.2015 द्वारा श्री चन्द्रशेखर साहु, अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 121 अनु० दिनांक 15.09.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। जिसमें निष्कर्ष के रूप में आरोप संख्या–1 को अप्रमाणित, आरोप संख्या–2 में आरोपित पदाधिकारी का बचाव बयान अस्वीकार योग्य एवं आरोप संख्या–3 को न्यायपालिका के अंतिम पारित आदेश/फलाफल अनुसार प्रभावी होने का मंतव्य दिया गया।

12-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secretary rwd bihar@gmail.com, & secy-reo-bih@nic.in

4. जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त असहमति संसूचित करते हुए श्री सिंह से विभागीय पत्रांक 63 अनु० दिनांक 04.01.2016 द्वारा असहमति के बिन्दुओं के आलोक में द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।

श्री सिंह द्वारा विभागीय पत्रांक 63 अनु० दिनांक 04.01.2016 से पूछे गये द्वितीय बचाव बयान को माननीय उच्च न्यायालय में सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या–1161/2016 द्वारा चुनौती दी गयी एवं विभाग को अभ्यावेदन समर्पित करते हुए पन्द्रह दिनों का अतिरिक्त समय की मांग की गयी।

5. श्री सिंह द्वारा विभागीय निदेश के बावजूद द्वितीय बचाव बयान समर्पित नहीं किये जाने के कारण उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एकपक्षीय निर्णय लेते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (X) के तहत वृहत दंड के रूप में सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गयी।

6. श्री सतीश कुमार सिंह, सेवा से बर्खास्त कनीय अभियंता द्वारा माननीय न्यायालय में दायर सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या–1161/2016 पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा श्री सिंह को निदेश दिया गया कि बर्खास्तगी आदेश 447 दिनांक 25.01.2016 के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपना पक्ष रखें। श्री सिंह द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय में एल0पी0ए0 संख्या–1900/2016 दायर किया गया। उक्त दायर एल0पी0ए0 पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि परिवादी अपना पक्ष अपीलीय प्राधिकार के समक्ष रखें या पुनः सी0डब्ल्यू0जे0सी0 दायर करें, जिसकी सुनवाई की जायेगी।

7. श्री सिंह द्वारा पुनः माननीय न्यायालय में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–210/2017 दायर किया गया। जिसपर सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.03.2017 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 69–सह–पठित ज्ञापांक 447 दिनांक 25.01.2016 को निरस्त करते हुए अंकित किया गया कि श्री सिंह के विरूद्ध श्री धर्मदेव चौधरी, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन संचालित प्रथम विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष– आरोप संख्या–2 एवं 3 का मंतव्यः– किसी सरकारी सेवक पर इस तरह के मामला दर्ज होने पर सरकार एवं विभाग की छवि एवं प्रतिष्ठा धूमिल होती है। इस प्रकार का आचरण अनुशासन के विरूद्ध है। परन्तु यह मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायापालिका के अंतिम पारित आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही इनके दोष पर विचार किया जा सकता है।

आरोप सख्या–1– आरोपित कनीय अभियंता श्री सतीश कुमार सिंह के बचाव बयान पर विचारोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि इन पर आरोप प्रमाणित नहीं होता है, परन्तु यह मामला न्यायालय में विचाराधीन रहने के कारण न्यायालय के अंतिम पारित आदेश इसके

फलाफल पर अक्षरशः प्रभावी होगा। आलोक में अंतिम निर्णय लेने हेतु अनुशासनिक प्राधिकार को निदेशित किया गया।

8. माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में उल्लेख किया गया कि अनुशासनिक प्राधिकार विभागीय कार्यवाही को चालू रखे या बंद कर दें, परन्तु अंतिम निर्णय संसूचित करें।

9. माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में सकारण आदेश संख्या–301–सह–पठित ज्ञापांक 769 दिनांक 19.04.2017 द्वारा अभियंता प्रमुख/सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री सतीश कुमार सिंह, तदेन कनीय अभियंता सम्प्रति बर्खास्त के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (x) के तहत पारित वृहत शास्ति आदेश को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में निरस्त करते हुए श्री सिंह के विरूद्ध संचालित प्रथम विभागीय कार्यवाही के प्रतिवेदन के निष्कर्षों से सहमत होते हुए विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया गया।

साथ हीं उक्त आदेश को निगरानी थाना कांड संख्या–026/2010 दिनांक 15.04.2010 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा–7/13(2)–सह–पठित धारा 1 (ई) में न्यायालय द्वारा पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होने का आदेश दिया गया।

10. कालांतर में श्री सतीश कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता की दिनांक 12.07.2019 को मृत्यु हो जाने की विधिवत् सूचना कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर के पत्रांक 829 अनु0 दिनांक 12.07.2019 द्वारा विभाग को प्राप्त हुई। मृत कर्मियों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 8811 दिनांक 18.07.2017 में निहित प्रावधानानुसार आरोपी सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में संबंधित सरकारी सेवक के विरूद्ध कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा मृत्यु की सूचना का उल्लेख करते हुए संबंधित आरोप प्रकरण को संचिकास्त कर दिया जायेगा।

11. चूंकि श्री सतीश कुमार सिंह के मृत्यु हो जाने की सूचना कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर के माध्यम से विधिवत् रूप से विभाग को प्राप्त है

अतएव उक्त आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 8811 दिनांक 18.07.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में आलोच्य मामले को संचिकास्त करते हुए स्व० सतीश कुमार सिंह के निलंबन अवधि (दिनांक 10.07.2014 से 25.01.2016) एवं बर्खास्तगी अवधि (दिनांक 26.01.2016 से 18.04.2017) को कर्त्तव्य अवधि मानते हुए पूर्ण वेतनादि का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा उक्त अवधि को विनियमित की जाती है।

14/01/2020

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–58/14 416 पटना/दिनांक :– 23.1.2020

प्रतिलिपि :–कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/01/2020
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–58/14 416 पटना/दिनांक :– 23-1-2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, निगरानी विभाग(निगरानी अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर/प्रशाखा पदाधिकारी–4/स्व0 सतीश कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी, पत्राचार का पता–ग्राम–नया टोला, सरिस्ताबाद, आजाद पथ, ए0/14, पो0–जी0पी0ओ0, थाना–गर्दनीबाग, पिन कोड–800001 को सूचनार्थ प्रेषित।

14/01/2020
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–58/14 416 पटना/दिनांक :– 23.1.2020

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/01/2020
अभियंता प्रमुख